प्रेस नोट

मोबाइल टावर से चोरी करने वाला अंतर्जनपदीय गिरोह गिरफ्तार

थाना बिल्हौर, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर   दिनांक 06.07.2024

दिनांक 04.07.2024 को थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजेपुर में लगे टावर IN-1251931 में घुसकर अज्ञात चोरो द्वारा 05 अदद SFP (डिवाइस) व जम्फर केविल काटकर चुरा ले जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामशंरण सिंह निवासी मूसानगर रोड थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर द्वारा थाना बिल्हौर पर मु0अ0स0 198/2024 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। विषय को गम्भीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिम महोदय द्वारा 03 टीमों का गठन किया गया। मोबाइल सर्विलांस टीम व मैनुअल मुखबिरी की सहायता से गठित टीमों द्वारा नानमाऊ ओरवब्रिज के नीचे समय लगभग 07.10 बजे मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित चोरो के गिरोह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों से गहराई से पूछताछ करने पर लाभप्रद जानकारी प्राप्त हुई है तथा अभियुक्तगणों ने बताया कि उनके द्वारा थाना बिल्हौर के ग्राम राजेपुर के अलावा गिरोह बनाकर जनपद कन्नौज के थाना क्षेत्र सौरिख के अंतर्गत ग्राम मझगवां, जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ अंतर्गत ग्राम तालग्राम रोड व जनपद कन्नौज के थाना तिर्वा अंतर्गत ग्राम बरदइय्या व सतौरा में लगे मोबाइल टावरों में लगे उपकरणों (केबिल, SFP आदि) की चोरी की गयी थी इसके अलावा अभियुक्तगणों ने जनपद मैनपुरी व जनपद कानपुर देहात में भी मोबाइल टावरों से उपकरणों की चोरी की घटनाओं को अपने गिरोह द्वारा किया जाना स्वीकार किया है। अभियुक्तगण के बैकवर्ड लिंकेज व फारवर्ड

लिंकेज के विषय में गहराई से जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगणों के पास से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये SFP डिवाइस, 02 बंडल केबिल /झम्पर कनेक्टर, प्लास , रिंच, तार कटर बरामद हुए है उपरोक्त सभी चोर गिरोह बनाकर अंतर्जनपदीय स्तर पर मोबाइल टावरों में चोरी की घटनाएं अंजाम दिया करते थे। गिरोह में संलिप्त अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के सम्बंध में अथक प्रयास किये जा रहे है । उल्लेखनीय है कि इस अंतर्जनपदीय गिरोह द्वारा अपनी कार से गैंग के सदस्यों को बैठाकर टावरों पर जाकर उस पर चढ़कर उसके कीमती उपकरण / 5 जी डिवाइस आदि चुरा लेते है इस कुत्सित कार्य से संचार व्यवस्था पूर्णतः छप हो जाती है जिसे आम जन-जीवन प्रभावित होता है। श्रीमान पुलिस आयुक्त कमि0 कानपुर नगर महोदय द्वारा उपरोक्त गैंग की गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम के उत्साहवर्धन हेतु 50,000 रूपये के पुरस्कार की घोषणा की गयी है। अभियुक्तगणों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है थाना क्षेत्र की आम जनता में पुलिस के उपरोक्त कार्य की सराहना / भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. अमन पुत्र विमल प्रकाश निवासी कुंदनपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी उम्र 22 वर्ष
2. शिवेन्द्र पुत्र हरदेश निवासी कुंदनपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी उम्र 23 वर्ष
3. शिवम पुत्र हेमराज निवासी कुंदनपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी उम्र 21 वर्ष
4. सचिन पुत्र प्रमोद निवासी कुंदनपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी उम्र 22 वर्ष
5. आलोक पुत्र रघुराज निवासी कुंदनपुर थाना किशनी जनपद मैनपुरी उम्र 24 वर्ष

बरामदगी

1. 05 अदद डिवाइस SFP (कीमत करीब 2.5 लाख)
2. 02 बंडल केबिल/ झम्पर मय कनेक्टर (कीमत करीब 20,000)
3. प्लास , रिंच, तार कटर
4. घटना में प्रयुक्त आल्टो कार UP78DB8581
5. घटना में प्रयुक्त Hyundai i10 UP78HD7204

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 198/2024 धारा 305 बी0एन0एस थाना बिल्हौर कमि0 कानपुर नगर

अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास के विषय मे जनपद कानपुर देहात, कन्नौज, मैनपुरी व औरैया से सम्पर्क कर जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तगणों को गिफ्तार करने वाली टीम-

1. केशव कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक
2. अति नि0 सतीश चन्द्र यादव
3. उ0नि0 अरविन्द कुमार

4. उ0नि0 अंकुर मलिक
5. हे0कां0 1706 पुष्पेन्द्र सिंह
6. हे0कां0 2118 जयपाल
7. का0 5378 वीरेन्द्र सिंह
8. कां 3354 धर्मपाल
9. कां0 910 सोबित पाल

प्रभारी निरीक्षक
थाना बिल्हौर, कमिश्नरेट कानपुर नगर